रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062025-263591
CG-DL-E-04062025-263591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2402] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947
No. 2402] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2025

का.आ. 2461(अ).— निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को जनता, जिसके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर तारीख, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

प्रारुप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें लिखित रूप में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इन्हें मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

अधिसूचना का प्रारुप

जबकि, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तारीख 6 अगस्त 1980 को अधिसूचित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले की सम तहसील और बाड़मेर जिले की गडरा तहसील में पाकिस्तान और भारत की अंतराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के पास 25° 47' से 26° 46' उत्तर और 70° 15' से 70° 45' पूर्व में स्थित है;

और जबकि, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य थार मरुस्थल में स्थित है और इसकी विशेषता प्रति वर्ष औसतन 25 मिमी वर्षा, बड़े पैमाने पर रेतीले इलाके, बीच-बीच में बदलते रेत के टीले और उपजाऊ अंतर-टीला समतल भूमि, कंकरीली भूमि और बौनी वनस्पति है, जहां वनस्पतियों और जीवों ने खुद को सबसे कठिन परिस्थितियों में जीविनयापन के लिए अनुकूलित कर लिया है। अभयारण्य और जैसलमेर जिले के आसपास के क्षेत्र राजस्थान के गंभीर रूप से लुप्तप्राय राज्य पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (*अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स*) का अंतिम पारिस्थितिक आश्रय स्थल हैं, जिनकी वैश्विक आबादी केवल 200 से भी कम है;

और जबकि, अभयारण्य उच्च स्थानिकता के साथ समृद्ध और अद्वितीय जैव विविधता का समर्थन करता है और लुप्तप्राय रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी और रेगिस्तानी मॉनिटर छिपकली और स्थानिक टॉड हेडेड अगामा, रेड स्पॉटेड रॉयल स्नेक, सैण्ड स्नेक, सैण्ड फिश और स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड का घर है और यह गिद्धों, हैरियर, होबारा बस्टर्ड, ब्लैक बेलीड सैंडग्राउज़ आदि की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान भी है;

और जबकि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में 21 स्तनधारियों की प्रजातिया पाई जाती है। इनमें से दुर्लभ प्रजातियाँ हौबारा बस्टर्ड (*क्लैमाइडोटिस अंडुलता*), लॉन्ग ईयर हेजहॉग (*हेमीचिनस कॉलरिस*), पेल हेज हॉग (*हेमीचिनस माइक्रोपस*), डेजर्ट फॉक्स (*वल्पेस वल्पेस पुसिला*), इंडियन फॉक्स (*वल्पेस बंगालेंसिस*), स्मॉल इंडियन नेवला (*हर्पेस्टेस जावानिकस*), डेजर्ट कैट (*फेलिस सिल्वेस्ट्रिस*), रेगिस्तानी खरगोश (*लेपस निग्रीकोलिस दयानस*), भारतीय हिरन (*गेज़ेला बेनेट्टी*), बलूचिस्तान का गेरबिल (*गेरबिलस नैनस*), हेयरी फूटेड गेरबिल (*गेरबिलस ग्लेडोई*), इंडियन डिजर्ट गेरबिल (*मेरियोनेस हुरियाने*) और सैण्ड कलर्ड रैट (*मिलार्डिया ग्लेडोई*) आदि हैं;

और जबकि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में 107 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यह अभयारण्य दुनिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे बड़ी आबादी के आवास के रूप में जाना जाता है। मैकक्वीन का बस्टर्ड यहाँ सर्दियों में आता है। यहां देखे जाने वाले अन्य उल्लेखनीय पक्षी क्रीम रंग का कोर्सर, कॉलर्ड प्रेटिनकोल, स्पॉटेड सैंडग्राउज़, ब्लैक-बेलिड सैंडग्राउज़, ग्रेटर हूपो लार्क, पंजाब रेवेन, रूफस-टेल्ड स्क्रब रॉबिन और ग्रीन मुनिया, लॉन्ग-लेग्ड बज़र्ड, कॉमन बज़र्ड, व्हाइट-आइड बज़र्ड, टैनी ईगल, स्टेपी ईगल, लेसर स्पॉटेड ईगल, लाल सिर वाला गिद्ध, सिनेरियस गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, भारतीय सफेद पीठ वाला गिद्ध, मिस्र का गिद्ध, पेलिड हैरियर, मोंटेगू का हैरियर, मार्श हैरियर, छोटे पंजे वाला सांप ईगल, लैगर फाल्कन, लाल सिर वाला फाल्कन और कॉमन केस्ट्रल आदि हैं;

और जबकि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में एक बहुत ही अनोखी वनस्पति पुष्प संरचना है, अभयारण्य में चार प्रमुख घास के मैदान शामिल हैं: (1) लेसियुरस सिन्डिकस प्रकार; (2) *डैक्टाइलोक्टेनियम सिंडिकम-एलुसीन कॉम्प्रेसा*; (3) अरिस्टिडा- *ओरोपेटियम थोमेयम*; (4) *स्पोरोबोलस मार्जिनेटस, एलुसीन कॉम्प्रेसा*; और वनस्पति में बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसी खेजड़ी *(प्रोसोपिस सिनेरिया)*, कुमथा (*बबूल सेनेगल*), केर (*कैपेरिस डेसीडुआ*), जाल (*सल्वाडोरा ओलेओइड्स*), झार बेर (*ज़िज़िफस न्यूमुलेरिया*), फोग (*कैलिगोनम पॉलीगोनोइड्स*), भरुत (*सेंक्रस बाइफ्लोरस*), बेकर (*इंडिगोफेरा कॉर्डिफ़ोलिया*), कांति (*ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस*), सिनिया (*क्रोटेलारिया बुरहिया*), डाब (*डेस्मोस्टैच्या बिपिन्नाटा*), लाना (*हेलोक्सिलॉन सैलिकोर्निकम*), भुई (*एर्वा स्यूडोटोमेंटोसा*), मूरुत (*पैनिकम टर्गिडम*) आदि शामिल हैं।

और जबकि, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं को, जो कि पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में निर्दिष्ट हैं, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है। उक्त पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणी और उनके प्रचालन और प्रक्रियाओं को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं – पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर एक किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 364 वर्ग किलोमीटर है

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र सीमा विवरण के साथ अनुलग्नक-II क, अनुलग्नक-II ख और अनुलग्नक-II ग में संलग्न हैं।

(4) संरक्षित क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक क्रमशः अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 29 गांवों की सूची अनुलग्नक-V में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना –

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी, जिस पर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) इस आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, ताकि इस योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बंधी दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके:-

i पर्यावरण;

ii वन और वन्यजीवन;

iii शहरी विकास;

iv पंचायती राज और ग्रामीण विकास;

v पर्यटन;

vi राजस्व;

vii कृषि;

viii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

ix सिंचाई;

x नगर पालिका;

xi लोक निर्माण और राजमार्ग तथा;

xii ऊर्जा विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित वर्तमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में सुधार शामिल होगा जो कि अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल हों।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, वर्तमान जल स्रोतो के संरक्षण, आसपास के क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान होगा, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में वर्तमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध निषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की समान सुविधा के लिए होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात: -

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या परिवर्तन नहीं होगा:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से पृथक प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का परिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी अनुमति दी गई है, जैसे:-

(i) वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं जिसके अंतर्गत गृह वास सम्मिलित; और
(iv) पैराग्राफ-4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलापः

यह भी कि क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में पाई जाने वाली किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन क्रियाकलापों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को पुनः वनरोपण करने का प्रयास किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में आसपास के क्षेत्रों में आने वाले सभी प्राकृतिक प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और

राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि इस क्षेत्रो और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाएगा, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन से सेंबंधित पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी;

परंतु यह भी कि, इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा रेखा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, किसी नये होटल और रिजॉर्ट के निर्माण की कोई भी अनुमति पर्यटन महायोजना के अनुसार पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल पूर्व निर्धारित और अभिहित क्षेत्रों में दी जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि निगरानी समिति की वास्तविक स्थल विशिष्ट वास्तविक जांच और संस्तुति पर आधारित होगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) नैसर्गिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों व इर्द-गिर्द के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का अनुपालन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तथा समय समय पर यथा संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के उपबंधों के अनुसार, किया जाएंगा।

(7) वायु प्रदूषण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण समय समय पर यथा संशोधित का अनुपालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उनमें संशोधन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सरण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण समय समय पर यथा संशोधित, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थान पर पर्यावरण स्वीकार्य रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, समय-समय पर संशोधित के तहत प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण. –** वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची .-

निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप नामत: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और केंद्रीय सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, पर्यावरण,

वन और वन्यजीव से संबंधित भारत सरकार की विधियों और अधिनियमों, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित अधिसूचना, संख्यांक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा, और जो समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा शासित होंगे : -

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणियां (3)
	क. प्रतिषिद्ध गतिविधियां	
1.	वाणिज्यिक खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), रेत उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। (ख) खनन प्रचालन, दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश (आदेशों) के अनुसार किए जाएंगे, जो टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 के मामले में, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (आदेशों) के अनुसार, तथा गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 के मामले में, तथा दिनांक 3 जून, 2022 के आईए संख्या 1000/2003 के निर्णय और उसके बाद दिनांक 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के आईए संख्या 131377/2022 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले नए उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान उद्योगों द्वारा प्रदूषण रोकथाम तकनीक और शोर अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	निषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	निषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।	निषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या वर्तमान आरा मिलों की विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	निषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	निषिद्ध।
9.	नई पवन चक्कियों का निर्माण।	निषिद्ध।; वर्तमान पवन चक्कियों का पट्टा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर ले जाया जाना चाहिए।
10.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों इत्यादि की स्थापना।	निषिद्ध।

ख.विनियमित क्रियाकलाप		
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटों को स्थापना अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
12.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। परंतु, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलो मीटर से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएगी
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कें बनाना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।

19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
21.	रात्रि में परिवहन यातायात का आवागमन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
23.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों इत्यादि की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
26.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
29.	पारिस्थितिकी- पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
30.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
31.	कृषि प्रणालियों में भारी बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
32.	होटल और लॉज के परिसरों की बाड़बंदी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
33.	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा तथा ईंधन का प्रयोग ।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति - केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी जिसे निगरानी समिति के नाम से जाना जाएगा, जिसमें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात:-

क्र.सं.	निगरानी समिति के घटक	पदनाम
1.	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	अध्यक्ष, *पदेन*;
2.	उपखंड अधिकारी जैसलमेर	सदस्य, *पदेन*;
3.	उपखंड अधिकारी शिव, बाड़मेर	सदस्य, *पदेन*;
4.	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य
5.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य, *पदेन*;
6.	मानद वन्यजीव वार्डन, जैसलमेर	सदस्य, *पदेन*;
7.	मानद वन्यजीव वार्डन, बाड़मेर	सदस्य, *पदेन*;
8.	प्रधान, पंचायत समिति, जैसलमेर	सदस्य, *पदेन*;
9.	प्रधान, पंचायत समिति, शिव, बाड़मेर	सदस्य, *पदेन*;
10.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), जैसलमेर	सदस्य सचिव, *पदेन*।

6. निगरानी समिति के कार्य:-

(1) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची मे सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले कार्यकलापों की स्थल विशेष परिस्थितियों की जांच के आधार पर संवीक्षा के लिए इसमें पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सौंपे गए कार्यकलाप शामिल नहीं है।

(2) पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की का.आ. 1533(अ), के माध्यम से प्राप्त सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल न किए गए और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले कार्यकलापों की जांच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशेष परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी। जिसमें पैरा 4 के तहत तालिका में शामिल और संबंधित विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यकलाप शामिल नहीं है।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामला-दर मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(5) निगरानी समिति इस अधिसूचना के **संलग्नक-IV** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/01/2024-ईएसजेड]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी'

अनुलग्नक- I

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य का प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा के बाहर और साथ-साथ 1 किमी की पट्टी बनाते हुए समान रूप से फैला हुआ है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से आटिया, बारना, भानबरा-चानगढ़-सुकबकोट, छत्तीनगर, डाबड़ी, दाव, डोबडा, घुरिया/धूलिया, गिराब, गोदानाली, हरसानी, हटर मय चौहानी, जैसिंदार, जामदा, कनोई, खारिया, खुरी, कुम्हारकोटा, कोरिया, माटुओ की बस्ती, मेदुसर, म्याजलार, फलेदी, राहु का पार, सागरों की बस्ती, सैम, सिपला, सिंहधार, सुंदरा, ग्रामों के क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र 25°50'16.81"उत्तर और 26°52'55.29" तथा 70°16'37.84"पूर्व और 70°47'43.02"पूर्व के बीच स्थित है।

उत्तर	ग्राम कनोई
उत्तर-पूर्व	ग्राम सिपला
पूर्व	ग्राम भंभरा-चानगढ़-सुकबकोट
दक्षिण-पूर्व	ग्राम हरसाणी
दक्षिण	ग्राम मेदूसर
दक्षिण-पश्चिम	ग्राम सुंद्रा
पश्चिम	ग्राम मियाजलार
उत्तर-पश्चिम	ग्राम राहु का पार

अनुलग्नक- II क

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के स्थान का मानचित्र

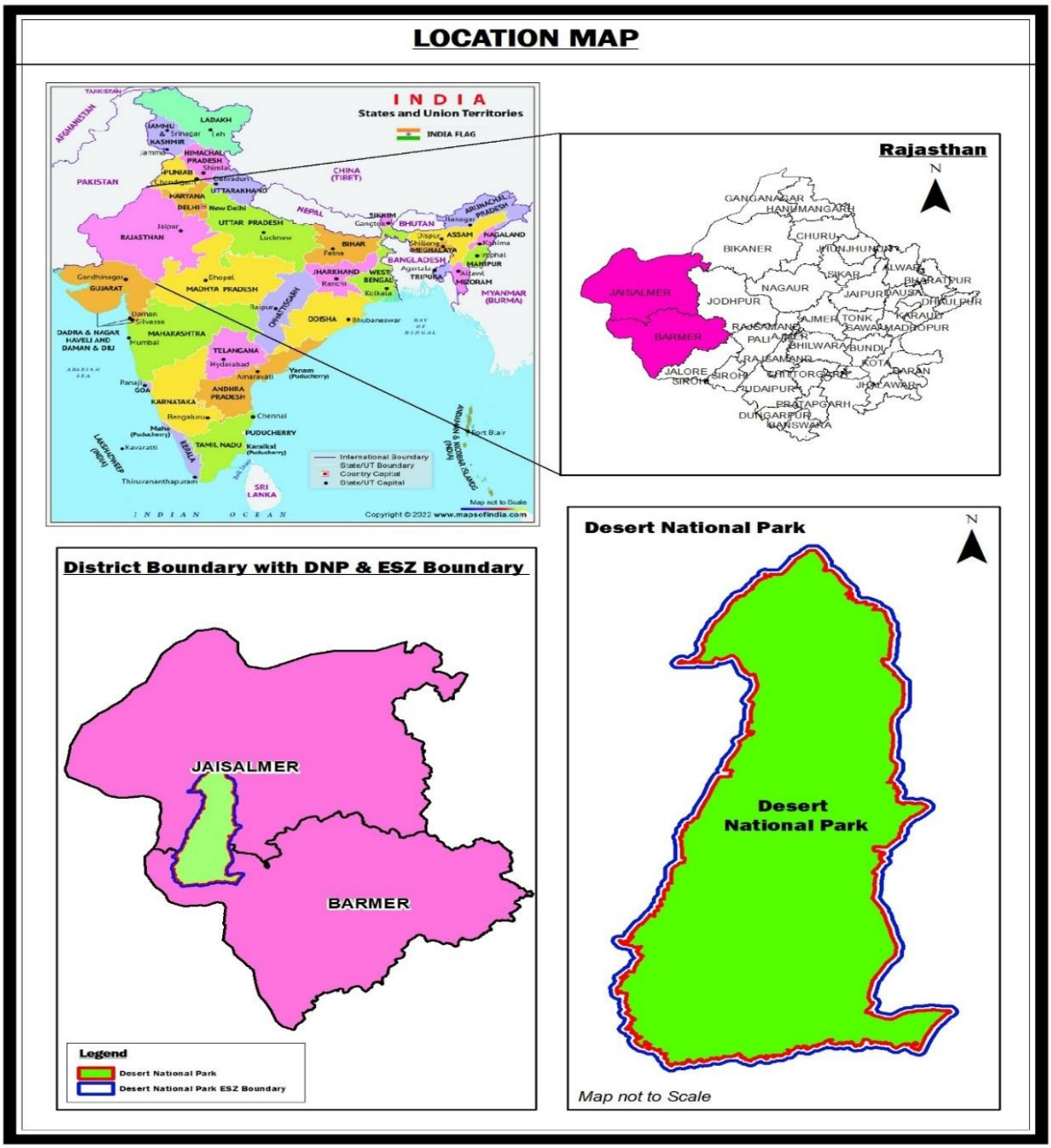

अनुलग्नक- II ख

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र

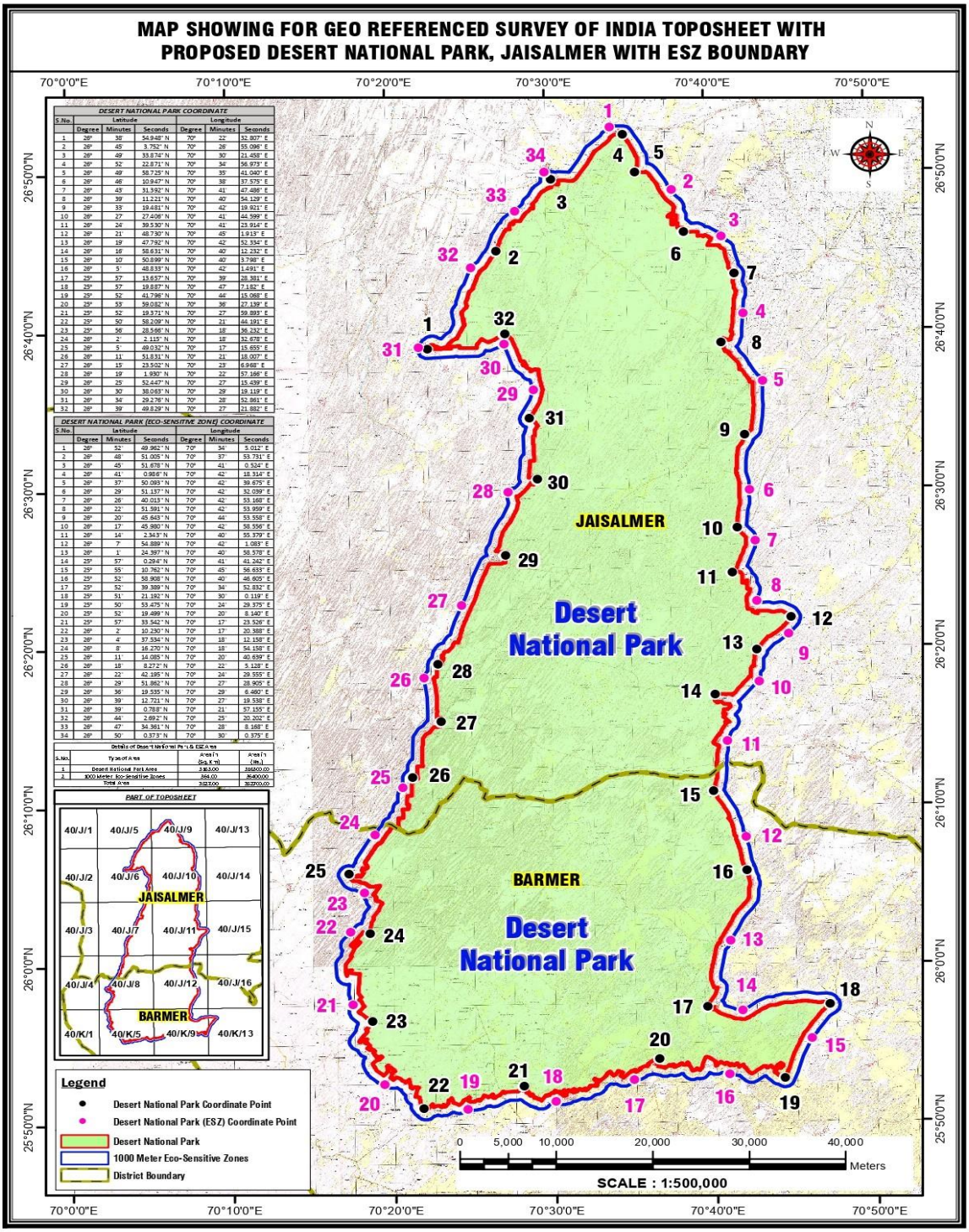

अनुलग्नक-II ग

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी मानचित्र

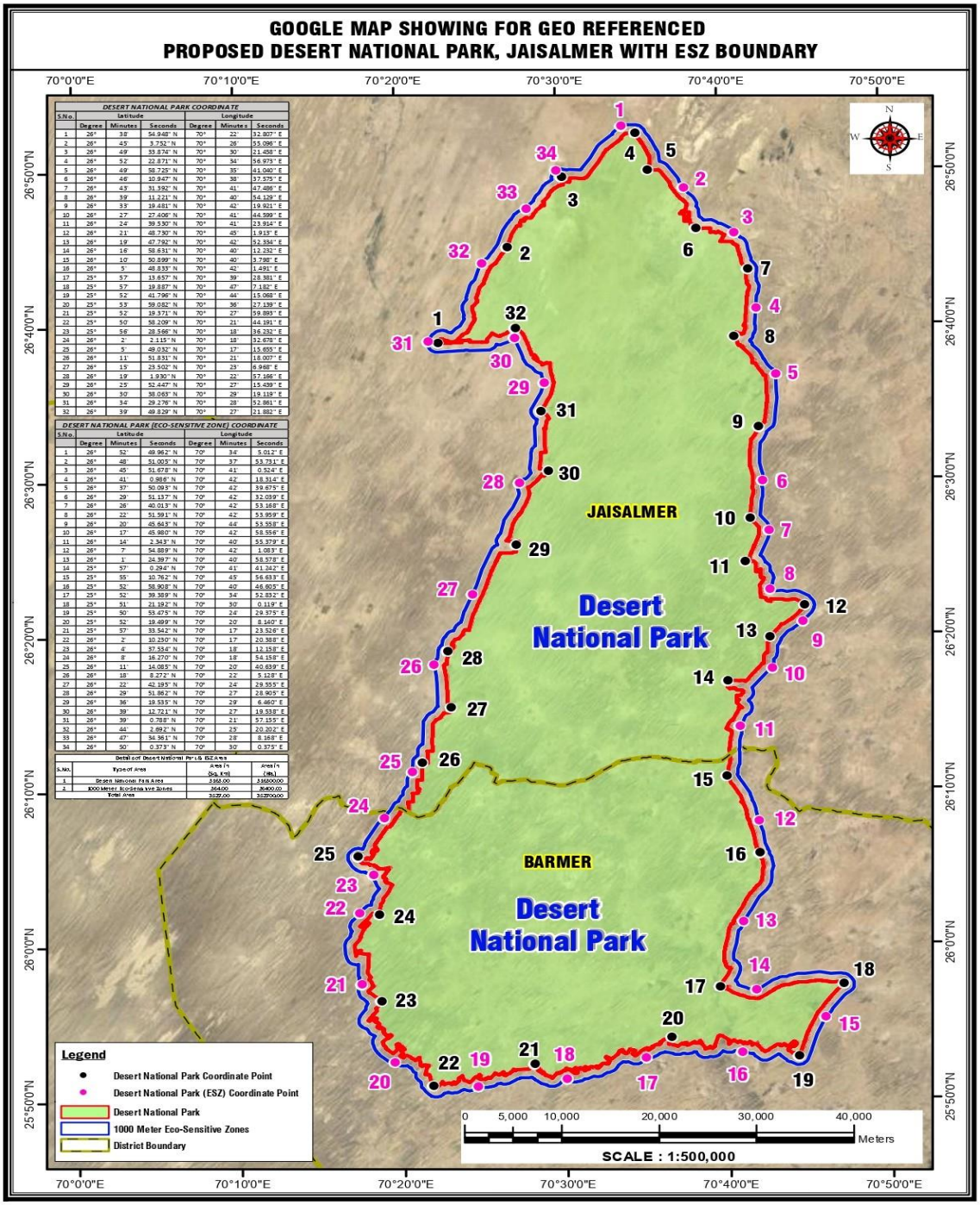

अनुलग्नक -III

संरक्षित क्षेत्र के सीमांत भू-निर्देशांक

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक						
क्रं.सं.	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1	26°	38'	54.948" उ	70°	22'	32.807" पू
2	26°	45'	3.752" उ	70°	26'	55.096" पू
3	26°	49'	33.874" उ	70°	30'	21.458" पू
4	26°	52'	22.871" उ	70°	34'	56.973" पू
5	26°	49'	58.725" उ	70°	35'	41.040" पू
6	26°	46'	10.947" उ	70°	38'	37.575" पू
7	26°	43'	31.392" उ	70°	41'	47.486" पू
8	26°	39'	11.221" उ	70°	40'	54.129" पू
9	26°	33'	19.481" उ	70°	42'	19.921" पू
10	26°	27'	27.406" उ	70°	41'	44.599" पू
11	26°	24'	39.530" उ	70°	41'	23.914" पू
12	26°	21'	48.730" उ	70°	45'	1.913" पू
13	26°	19'	47.792" उ	70°	42'	52.334" पू
14	26°	16'	58.631" उ	70°	40'	12.232" पू
15	26°	10'	50.899" उ	70°	40'	3.798" पू
16	26°	5'	48.833" उ	70°	42'	1.491" पू
17	25°	57'	13.657" उ	70°	39'	28.381" पू
18	25°	57'	19.887" उ	70°	47'	7.182" पू
19	25°	52'	41.796" उ	70°	44'	15.068" पू
20	25°	53'	59.082" उ	70°	36'	27.139" पू
21	25°	52'	19.371" उ	70°	27'	59.893" पू
22	25°	50'	58.209" उ	70°	21'	44.191" पू
23	25°	56'	28.566" उ	70°	18'	36.232" पू
24	26°	2'	2.115" उ	70°	18'	32.678" पू
25	26°	5'	49.032" उ	70°	17'	15.655" पू
26	26°	11'	51.831" उ	70°	21'	18.007" पू
27	26°	15'	23.502" उ	70°	23'	6.968" पू
28	26°	19'	1.930" उ	70°	22'	57.166" पू
29	26°	25'	52.447" उ	70°	27'	15.439" पू
30	26°	30'	38.063" उ	70°	29'	19.119" पू
31	26°	34'	29.276" उ	70°	28'	52.861" पू
32	26°	39'	49.829" उ	70°	27'	21.882" पू

अनुलग्नक- IV

वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य (पारिस्थितिकी संवेदी जोन) के निर्देशांक						
क्रं.सं.	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1	26°	52'	49.962" उ	70°	34'	5.012" पू
2	26°	48'	51.005" उ	70°	37'	53.731" पू
3	26°	45'	51.678" उ	70°	41'	0.524" पू
4	26°	41'	0.986" उ	70°	42'	18.314" पू
5	26°	37'	50.093" उ	70°	42'	39.675" पू
6	26°	29'	51.137" उ	70°	42'	32.039" पू
7	26°	26'	40.013" उ	70°	42'	53.168" पू
8	26°	22'	51.591" उ	70°	42'	53.959" पू
9	26°	20'	45.643" उ	70°	44'	53.558" पू
10	26°	17'	45.980" उ	70°	42'	58.556" पू
11	26°	14'	2.343" उ	70°	40'	55.379" पू
12	26°	7'	54.889" उ	70°	42'	1.083" पू
13	26°	1'	24.397" उ	70°	40'	58.578" पू
14	25°	57'	0.294" उ	70°	41'	41.242" पू
15	25°	55'	10.762" उ	70°	45'	56.633" पू
16	25°	52'	58.908" उ	70°	40'	46.605" पू
17	25°	52'	39.389" उ	70°	34'	52.832" पू
18	25°	51'	21.192" उ	70°	30'	0.119" पू
19	25°	50'	53.475" उ	70°	24'	29.375" पू
20	25°	52'	19.499" उ	70°	20'	8.140" पू
21	25°	57'	33.542" उ	70°	17'	23.526" पू
22	26°	2'	10.230" उ	70°	17'	20.388" पू
23	26°	4'	37.534" उ	70°	18'	12.158" पू
24	26°	8'	16.270" उ	70°	18'	54.158" पू
25	26°	11'	14.085" उ	70°	20'	40.639" पू
26	26°	18'	8.272" उ	70°	22'	5.128" पू
27	26°	22'	42.195" उ	70°	24'	29.555" पू
28	26°	29'	51.862" उ	70°	27'	28.905" पू
29	26°	36'	19.535" उ	70°	29'	6.460" पू
30	26°	39'	12.721" उ	70°	27'	19.538" पू
31	26°	39'	0.788" उ	70°	21'	57.155" पू
32	26°	44'	2.692" उ	70°	25'	20.202" पू
33	26°	47'	34.361" उ	70°	28'	8.168" पू
34	26°	50'	0.373" उ	70°	30'	0.375" पू

अनुलग्नक-V

भू-निर्देशांक सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम के प्रकार	तहसील	जिला	अक्षांश			देशांतर		
					डि	मि	से	डि	मि	से
1	आतिया	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	16	41.54	70	40	25.48
2	बार्ना	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	39	2.92	70	41	3.85
3	भंभरा-चानगढ़-सुकबाकोट	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	22	10.17	70	42	53.94
4	छत्तानगढ़	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	35	23.43	70	44	28.26
5	डाबड़ी	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	38	42.17	70	22	22.45
6	डीएवी	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	25	40.40	70	26	36.95
7	धुलिया/घुरिया	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	46	9.11	70	40	49.97
8	दोबड़ा/डोबा	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	36	59.12	70	43	26.05
9	हटर मई चौहानी	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	30	46.55	70	29	8.71
10	जमारा	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	46	5.97	70	40	0.45
11	कनोई	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	49	8.04	70	42	16.59
12	खारिया	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	24	48.63	70	41	43.24
13	खुरी	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	36	46.99	70	42	44.64
14	कोरिया	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	34	14.05	70	29	13.64
15	कुम्हार कोठा	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	43	58.57	70	41	50.69
16	मतुओ की बस्ती	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	47	56.77	70	29	9.91
17	मियाज़लार	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	15	10.43	70	22	43.21
18	फलेरी	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	37	25.13	70	29	3.75
19	राहु का पार	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	40	35.04	70	24	56.82
20	सगरो की बस्ती	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	49	41.99	70	28	49.60
21	सैम	राजस्व	जैसलमेर	जैसलमेर	26	49	51.19	70	30	26.13
22	शिहदार	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	13	0.19	70	40	32.36
23	सिपाला	राजस्व	फतेहगढ़	जैसलमेर	26	42	56.99	70	42	31.79
24	गिराब	राजस्व	गडरा	बाड़मेर	26	1	14.35	70	40	17.32
25	गोदनाली	राजस्व	गडरा	बाड़मेर	26	9	12.31	70	41	3.78
26	हरसाणी	राजस्व	गडरा	बाड़मेर	25	57	20.77	70	47	6.65
27	जैसिंदर	राजस्व	गडरा	बाड़मेर	25	52	5.55	70	23	1.46
28	मेडुसर	राजस्व	गडरा	बाड़मेर	25	52	37.20	25	52	37.20
29	सुंदरा	राजस्व	गडरा	बाड़मेर	26	5	11.61	70	17	43.62

अनुलग्नक-VI

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में संलग्न करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार (परिस्थिति संवेदी जोन-वार) । ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2025

S.O. 2461(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Desert National Park Wildlife Sanctuary notified by the State Government of Rajasthan *vide* dated the 6th August 1980 is spread over an area of 3162 sq. km. It is located in Sam Tehsil of Jaisalmer district and Gadra Tehsil of Barmer district in the state of Rajasthan near the international border area of Pakistan and India at 25° 47' to 26° 46' N and 70° 15' to 70° 45' E;

AND WHEREAS the Desert National Park Wildlife Sanctuary lies in the Thar Desert and is characterized by average 25 mm rainfall per year, largely sandy terrain interspersed with shifting sand dunes and fertile inter-dunal flat lands, gravelly lands and stunted vegetation with flora and fauna adapted themselves to survive in the harshest of the living conditions. The Sanctuary and adjoining areas of Jaisalmer district are

the last ecological refuge of the Critically Endangered State Bird of Rajasthan, the Great Indian Bustard (*Ardeotis nigriceps*), which has a global population of less than 200 individuals only;

AND WHEREAS the sanctuary supports rich and unique biodiversity with high rate of endemism and is home for endangered Desert Cat, Desert Fox and Desert Monitor Lizard and endemic Toad Headed Agama, Red Spotted Royal Snake, Sand Snake, Sand Fish and Spiny Tailed Lizard and also forms an important wintering ground for many species of Vultures, Harriers, Houbara Bustard, Black Bellied Sandgrouse etc.;

AND WHEREAS Desert National Park is home to 21 species of mammals. The rare ones are Houbara bustard (*Chlamydotis undulata*), Long Eared Hedgehog (*Hemiechinus collaris*), Pale Hedge Hog (*Hemiechinus micropus*), Desert Fox (*Vulpes vulpes pusilla*), Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), Small Indian Mongoose (*Herpestes javanicus*), Desert Cat (*Felis sylvestris*), Desert Hare (*Lepus nigricollis dayanus*), Indian Gazelle (*Gazella bennetti*), Balochistan's Gerbill (*Gerbillus nanus*), Hairy Footed Gerbill (*Gerbillus gleadowi*), Indian Desert Gerbill (*Meriones hurrianae*) and Sand Coloured Rat (*Millardia gleadowi*) etc.;

AND WHEREAS more than 107 species of birds are reported from the Desert National Park Sanctuary. The Sanctuary is known as home for the largest population of Great Indian Bustard in the world. Macqueen's Bustard is a winter visitor here. Other notable birds seen here are Cream-coloured Courser, Collared Pratincole, Spotted Sandgrouse, Black-bellied Sandgrouse, Greater Hoopoe Lark, Punjab Raven, Rufous-tailed Scrub Robin and Green Munia, Long-legged buzzard, Common buzzard, White-eyed buzzard, Tawny eagle, Steppe eagle, Lesser spotted eagle, Red headed vulture, Cinereous vulture, Long-billed vulture, Indian white-backed vulture, Egyptian vulture, Pallid harrier, Montagu's harrier, Marsh harrier, Short-toed snake eagle, Laggar falcon, Red headed falcon and Common kestrel etc.;

AND WHEREAS the Desert National Park Wildlife Sanctuary has a very unique floral composition, the sanctuary consists of four major grassland types: (1) Lasiurus scindicus type; (2) *Dactyloctenium sindicum- Eleusine compressa*; (3) Aristida- *Oropetium thomaeum*; (4) *Sporobolus marginatus*, *Eleusine compressa*; and the vegetation comprises of very important species like Khejri (*Prosopis cineraria*), Kumtha (*Acacia senegal*), Ker (*Caparis decidua*), Jaal (*Salvadora oleoides*), Jhar Ber (*Zizyphus nummularia*), Phog (*Calligonum polygonoides*), Bhurut (*Cenchrus biflorus*), Bekar (*Indigofera cordifolia*), Kanti (*Tribulus terrestris*), Sinia (*Crotalaria burhia*), Dab (*Desmostachya bipinnata*), Lana (*Haloxylon salicornicum*), Bhui (*Aerva pseudotomentosa*), Moorut (*Panicum turgidum*) etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Desert National Park Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area around the boundary of Desert National Park Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Desert National Park Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) the extent of Eco-Sensitive Zone is one kilometer uniform around the boundary of Desert National Park Wildlife Sanctuary encompassing an ESZ area of 364 square kilometre.

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- I.

(3) The maps of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details are appended as Annexure- II A, Annexure-II B and Annexure- II C.

(4) The geo-coordinates of the boundary of protected area and its Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- III and Annexure- IV respectively.

(5) The list of 29 villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- V.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. –

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Urban Development;

iv. Panchayati Raj and Rural Development

v. Tourism;

vi. Revenue;

vii. Agriculture;

viii. Rajasthan State Pollution Control Board;

ix. Irrigation;

x. Municipality;

xi. Public Works and Highways and

xii. Energy Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.–

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.– The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.–

a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.– All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.– Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.– Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amended from time to time.

(7) Air pollution.– Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.– Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.– Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.– The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.– The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.– The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.– Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.–

a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016 as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.– The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.–

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated

the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	Establishement of new and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commerical Use of firewood.	Prohibited.
9.	Erection of new wind mills.	Prohibited; the lease of existing windmills shall not be renewed. After the expiry of lease period, they should be removed outside the ESZ.
10.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, company, corporate etc.	Prohibited; Provided that small scale poultry farms by local farmers can be established as per CPCB guidelines 2016 as amended from time to time.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated wastewater. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable law.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws

31.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Air, vehicular and noise pollution.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaisalmer	Chairman, *ex-officio;*
2.	Sub Divisional Officer Jaisalmer	Member, *ex-officio;*
3.	Sub Divisional Officer Shiv, Barmer	Member, *ex-officio;*
4.	A representative of a Non-governmental organization working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years	Member
5.	An expert in the area of ecology and environment from a reputed University or Institution to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member
6.	Honorary Wild Life Warden, Jaisalmer	Member, *ex-officio;*
7.	Honorary Wildlife Warden, Barmer	Member, *ex-officio;*
8.	Pradhan, Panchayat Samiti, Jaisalmer	Member, *ex-officio;*
9.	Pradhan, Panchayat Samiti, Shiv, Barmer	Member, *ex-officio;*
10.	Deputy Conservator Of Forest (Wildlife), Jaisalmer	Member Secretary, *ex officio;*

6. Functions of Monitoring Committee.–

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-VI, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/01/2024-ESZ]

DR. S. KERKETTA, Scientist-G

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DESERT NATIONAL PARK WILDLIFE SANCTUARY

The proposed Eco-sensitive Zone of Desert National Park Wildlife Sanctuary extends uniformly outside and along the boundary of the Sanctuary forming a strip of 1km. The ESZ encompasses areas from villages Aatiya, Barna, Bhanbra-Changarh-Sukbakot, Chattinagar, Dabdi, Dav, Dobda, Ghuria/Dhuliya, Girab, Godanali, Harsani, Hatar may Chauhani, Jaisindar, Jamda, Kanoi, Khariya, Khuri, Kumharkota , Koria, Matuo ki Basti, Medusar, Myajlar, Phaledi, Rahu ka Par, Sagaron ki Basti, Sam, Sipla, Sinhdar, Sundra, from the boundary of Desert National Park Wildlife Sanctuary. The Eco Sensitive Zone is located between 25°50'16.81"N and 26°52'55.29" and 70°16'37.84"E and 70°47'43.02"E.

North	Village Kanoi
North- East	Village Sipla
East	Village Bhambhara-Changarh-Sukbakot
South-East	Village Harsani
South	Village Medusar
South-West	Village Sundra
West	Village Miyajlar
North-West	Village Rahu ka Par

ANNEXURE- II A

MAP OF THE LOCATION OF DESERT NATIONAL PARK WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ESZ

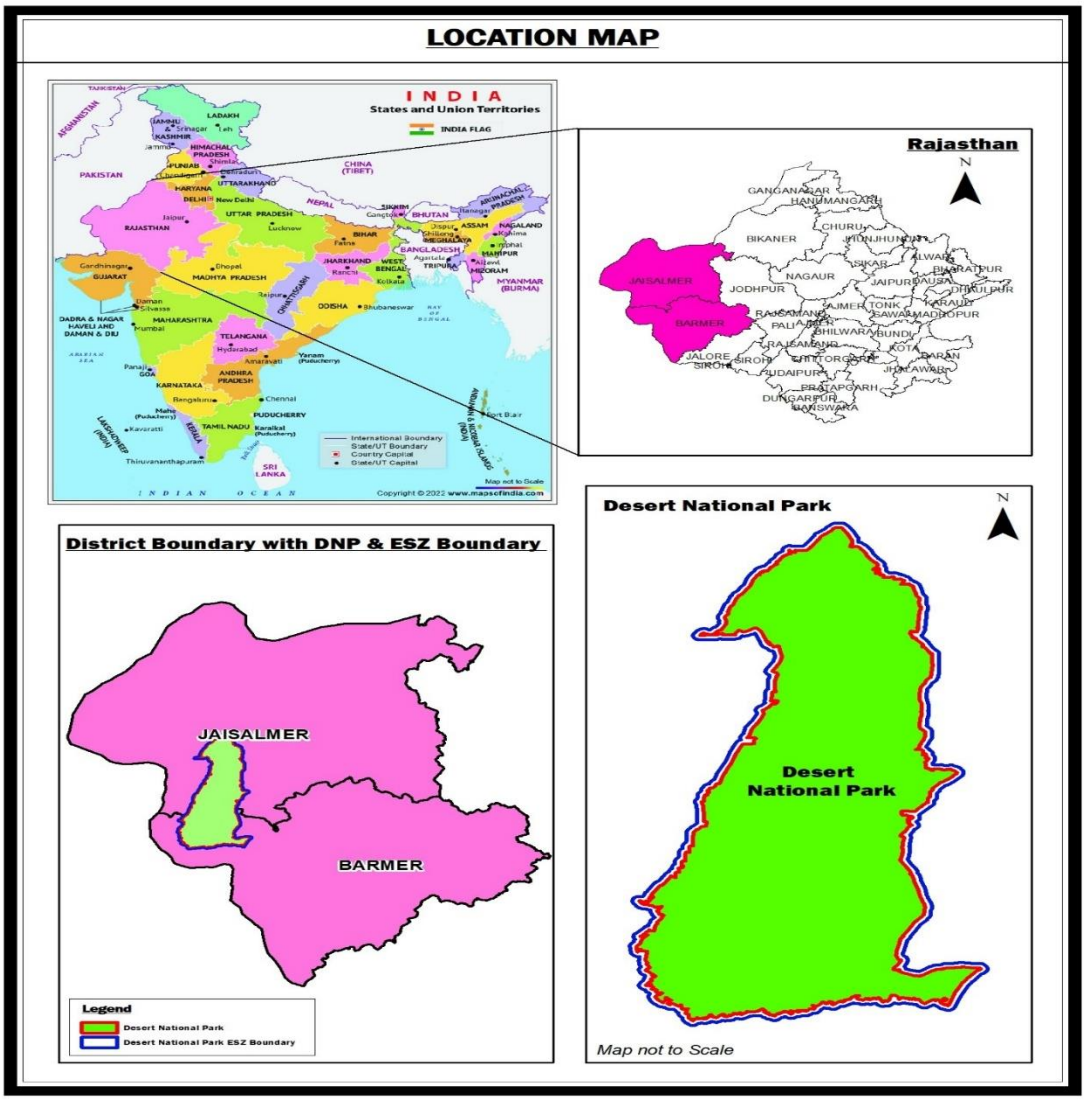

ANNEXURE- II B

TOPOSHEET MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND OF DESERT NATIONAL PARK WILDLIFE SANCTUARY

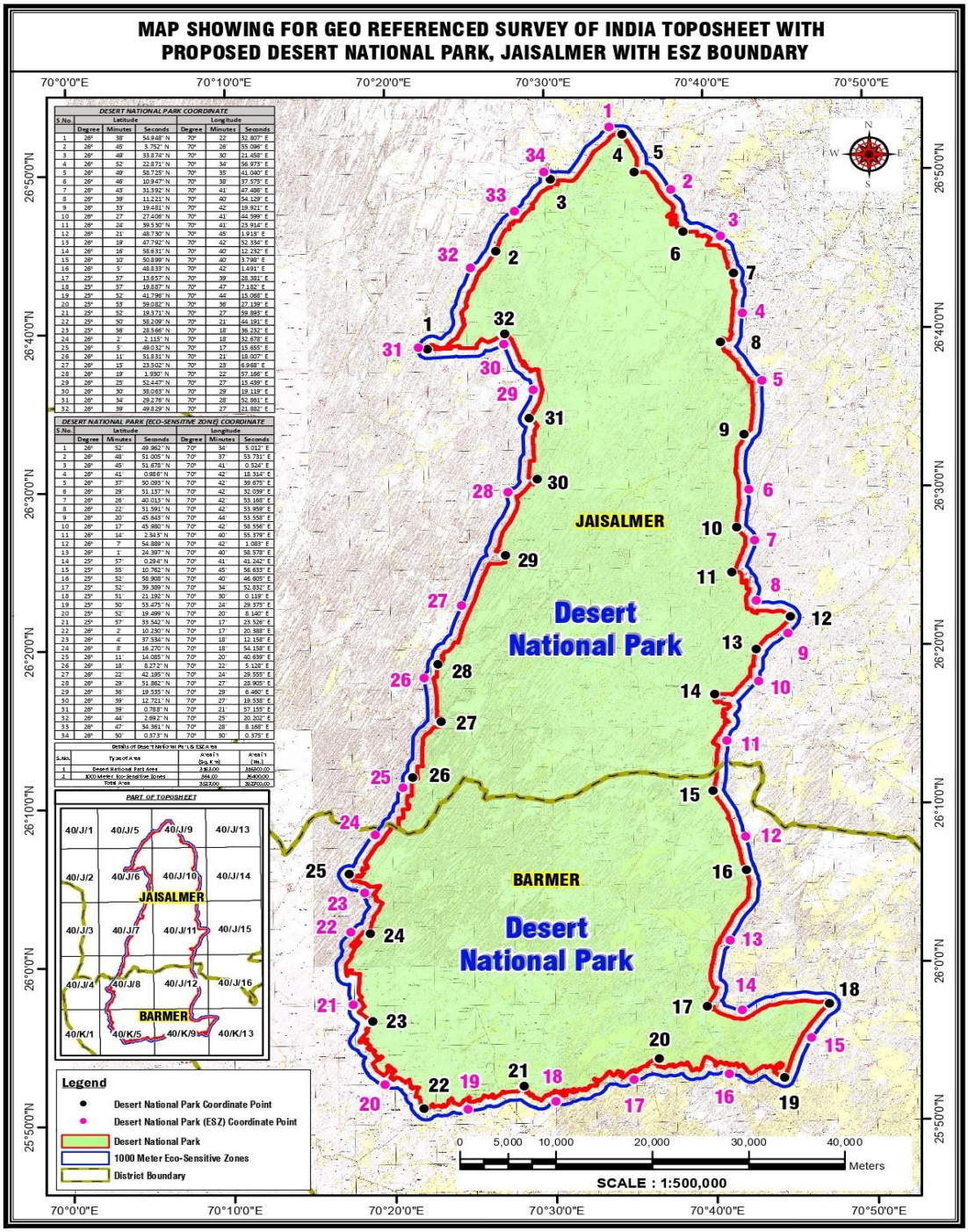

ANNEXURE- II C

GOOGLE EARTH MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DESERT NATIONAL PARK WILDLIFE SANCTUARY

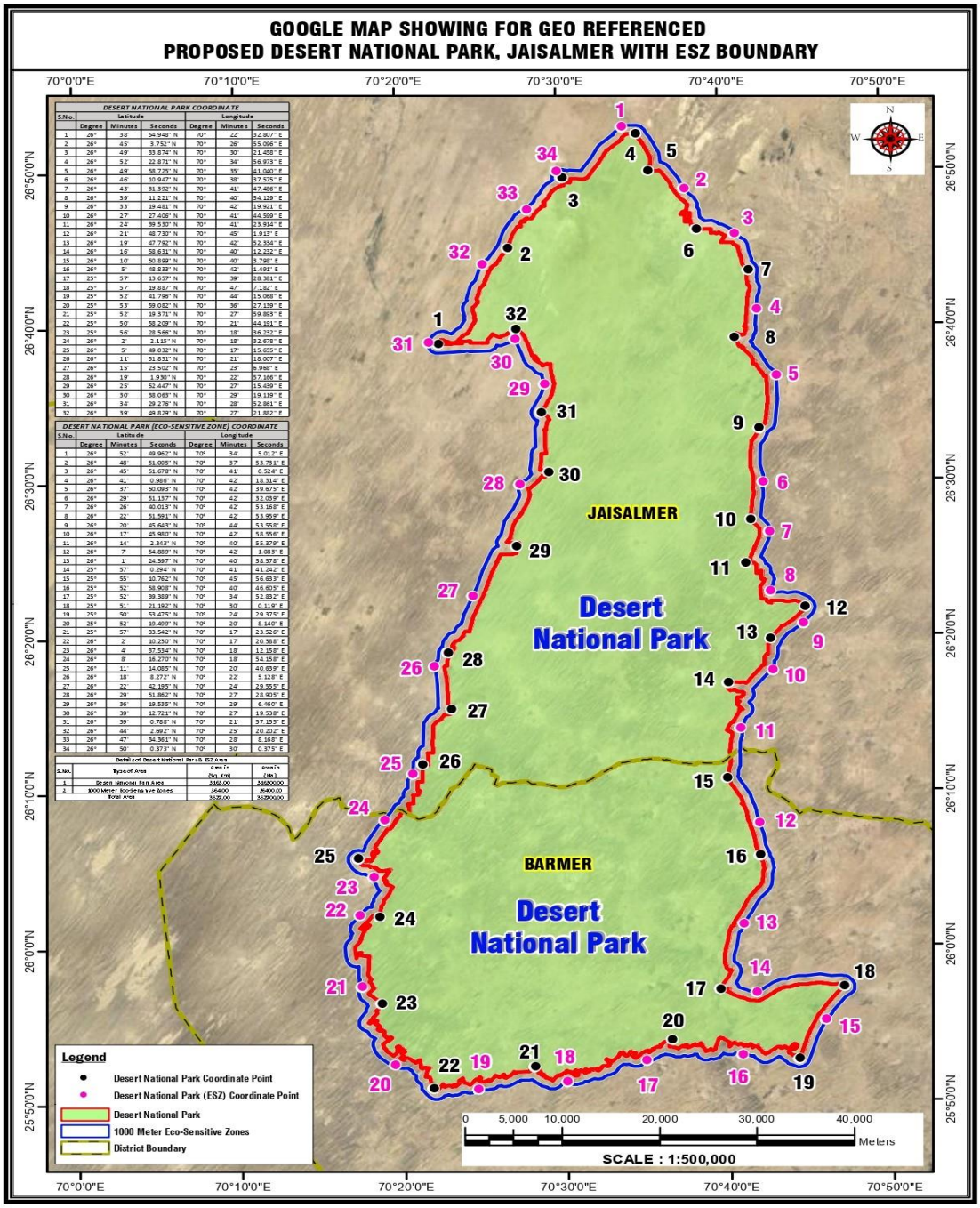

ANNEXURE- III

BOUNDARY GEOCOORDINATES OF THE PROTECTED AREA

DESERT NATIONAL PARK WLS COORDINATE						
S.No.	**Latitude**			**Longitude**		
	Degree	**Minutes**	**Seconds**	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**
1	26°	38'	54.948" N	70°	22'	32.807" E
2	26°	45'	3.752" N	70°	26'	55.096" E
3	26°	49'	33.874" N	70°	30'	21.458" E
4	26°	52'	22.871" N	70°	34'	56.973" E
5	26°	49'	58.725" N	70°	35'	41.040" E
6	26°	46'	10.947" N	70°	38'	37.575" E
7	26°	43'	31.392" N	70°	41'	47.486" E
8	26°	39'	11.221" N	70°	40'	54.129" E
9	26°	33'	19.481" N	70°	42'	19.921" E
10	26°	27'	27.406" N	70°	41'	44.599" E
11	26°	24'	39.530" N	70°	41'	23.914" E
12	26°	21'	48.730" N	70°	45'	1.913" E
13	26°	19'	47.792" N	70°	42'	52.334" E
14	26°	16'	58.631" N	70°	40'	12.232" E
15	26°	10'	50.899" N	70°	40'	3.798" E
16	26°	5'	48.833" N	70°	42'	1.491" E
17	25°	57'	13.657" N	70°	39'	28.381" E
18	25°	57'	19.887" N	70°	47'	7.182" E
19	25°	52'	41.796" N	70°	44'	15.068" E
20	25°	53'	59.082" N	70°	36'	27.139" E
21	25°	52'	19.371" N	70°	27'	59.893" E
22	25°	50'	58.209" N	70°	21'	44.191" E
23	25°	56'	28.566" N	70°	18'	36.232" E
24	26°	2'	2.115" N	70°	18'	32.678" E
25	26°	5'	49.032" N	70°	17'	15.655" E
26	26°	11'	51.831" N	70°	21'	18.007" E
27	26°	15'	23.502" N	70°	23'	6.968" E
28	26°	19'	1.930" N	70°	22'	57.166" E
29	26°	25'	52.447" N	70°	27'	15.439" E
30	26°	30'	38.063" N	70°	29'	19.119" E
31	26°	34'	29.276" N	70°	28'	52.861" E
32	26°	39'	49.829" N	70°	27'	21.882" E

ANNEXURE- IV

GEOCOORDINATES OF ESZ BOUNDARY AROUND WILDLIFE SANCTUARY

DESERT NATIONAL PARK WLS (ECO-SENSITIVE ZONE) COORDINATES						
S.No.	**Latitude**			**Longitude**		
	Degree	**Minutes**	**Seconds**	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**
1	26°	52'	49.962" N	70°	34'	5.012" E
2	26°	48'	51.005" N	70°	37'	53.731" E
3	26°	45'	51.678" N	70°	41'	0.524" E
4	26°	41'	0.986" N	70°	42'	18.314" E
5	26°	37'	50.093" N	70°	42'	39.675" E
6	26°	29'	51.137" N	70°	42'	32.039" E
7	26°	26'	40.013" N	70°	42'	53.168" E
8	26°	22'	51.591" N	70°	42'	53.959" E
9	26°	20'	45.643" N	70°	44'	53.558" E
10	26°	17'	45.980" N	70°	42'	58.556" E
11	26°	14'	2.343" N	70°	40'	55.379" E
12	26°	7'	54.889" N	70°	42'	1.083" E
13	26°	1'	24.397" N	70°	40'	58.578" E
14	25°	57'	0.294" N	70°	41'	41.242" E
15	25°	55'	10.762" N	70°	45'	56.633" E
16	25°	52'	58.908" N	70°	40'	46.605" E
17	25°	52'	39.389" N	70°	34'	52.832" E
18	25°	51'	21.192" N	70°	30'	0.119" E
19	25°	50'	53.475" N	70°	24'	29.375" E
20	25°	52'	19.499" N	70°	20'	8.140" E
21	25°	57'	33.542" N	70°	17'	23.526" E
22	26°	2'	10.230" N	70°	17'	20.388" E
23	26°	4'	37.534" N	70°	18'	12.158" E
24	26°	8'	16.270" N	70°	18'	54.158" E
25	26°	11'	14.085" N	70°	20'	40.639" E
26	26°	18'	8.272" N	70°	22'	5.128" E
27	26°	22'	42.195" N	70°	24'	29.555" E
28	26°	29'	51.862" N	70°	27'	28.905" E
29	26°	36'	19.535" N	70°	29'	6.460" E
30	26°	39'	12.721" N	70°	27'	19.538" E
31	26°	39'	0.788" N	70°	21'	57.155" E
32	26°	44'	2.692" N	70°	25'	20.202" E
33	26°	47'	34.361" N	70°	28'	8.168" E
34	26°	50'	0.373" N	70°	30'	0.375" E

ANNEXURE- V

List of Villages falling within the ESZ along with Geo-coordinates

Sr. No.	Village	Type of Village	Tehsil	District	Latitutde			Longitude		
					D	M	S	D	M	S
1	Aatiya	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	16	41.54	70	40	25.48
2	Barna	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	39	2.92	70	41	3.85
3	Bhambhara-Changarh- Sukbakot	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	22	10.17	70	42	53.94
4	Chhattanagarh	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	35	23.43	70	44	28.26
5	Dabdi	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	38	42.17	70	22	22.45
6	Dav	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	25	40.40	70	26	36.95
7	Dhuliya/Ghuriya	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	46	9.11	70	40	49.97
8	Dobda/Doba	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	36	59.12	70	43	26.05
9	Hatar May Chouhani	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	30	46.55	70	29	8.71
10	Jamara	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	46	5.97	70	40	0.45
11	Kanoi	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	49	8.04	70	42	16.59
12	Khariya	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	24	48.63	70	41	43.24
13	Khuri	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	36	46.99	70	42	44.64
14	Koriya	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	34	14.05	70	29	13.64
15	Kumhar Kotha	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	43	58.57	70	41	50.69
16	Matuo ki Basti	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	47	56.77	70	29	9.91
17	Miyazlar	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	15	10.43	70	22	43.21
18	Phaleri	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	37	25.13	70	29	3.75
19	Rahu Ka Par	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	40	35.04	70	24	56.82
20	Sagro Ki Basti	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	49	41.99	70	28	49.60
21	Sam	Revenue	Jaisalmer	Jaisalmer	26	49	51.19	70	30	26.13
22	Shihdar	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	13	0.19	70	40	32.36
23	Sipala	Revenue	Fatehgarh	Jaisalmer	26	42	56.99	70	42	31.79
24	Girab	Revenue	Gadra	Barmer	26	1	14.35	70	40	17.32
25	Godanali	Revenue	Gadra	Barmer	26	9	12.31	70	41	3.78
26	Harsani	Revenue	Gadra	Barmer	25	57	20.77	70	47	6.65
27	Jaisindar	Revenue	Gadra	Barmer	25	52	5.55	70	23	1.46
28	Medusar	Revenue	Gadra	Barmer	25	52	37.20	25	52	37.20
29	Sundra	Revenue	Gadra	Barmer	26	5	11.61	70	17	43.62

ANNEXURE- VI

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.04 15:26:43 +05'30'